पीठासीन अधिकारी :— दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—21/19

दायर दिनांक :—03.07.2019 निर्णय दिनांक:—16.12.2019

उनवान

1. रामजीलाल उम्र 61 साल पुत्र देवीलाल जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहबाद बारां राज.।
2. शिवजी उम्र 52 साल पुत्र देवीलाल जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहबाद बारां राज.।
3. हरगोविंद उम्र 49 साल पुत्र देवीलाल जाति किराड निवासी बेंटा तहसील शाहबाद बारां राज.।

—वादीगण

बनाम

1. रामचरण पुत्र खैरू जाति जाटव निवासी बेंटा तहसील शाहबाद जिला बारां राज.।
2. रमेश पुत्र खैरू जाति जाटव निवासी बेंटा तहसील शाहबाद जिला बारां राज.।
3. सुरेश पुत्र खैरू जाति जाटव निवासी बेंटा तहसील शाहबाद जिला बारां राज.।
4. खैरू पुत्र नब्बू जाति जाटव निवासी बेंटा तहसील शाहबाद जिला बारां राज.।

—अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:—

1— ग्राम बेंटा तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नम्बर 72 रकबा 5.09, खसरा नं. 72/366 रकबा 5.14 एवं खसरा नं. 76/1 रकबा 4.00 बीघा स्थित है इन आराजीयात को वाद पत्र में आगे विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2— यह कि विवादित आराजी में से ग्राम बेंटा तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नं. 72 रकबा 5.09, खसरा नं. 72/366 रकबा 5.14 वादीगण एवं उनके अन्य परिवारजन के सहखाते दर्ज है। एवं ग्राम बेंटा के ही खसरा नं. 76/1 रकबा 4.00 बीघा वादी क्रम 2 के अकेले खाते का है उक्त आराजीयात का मौके पर एक ही चक है उक्त सभी ख. नं. प्रतिवादीगण को आवंटित आराजी ख. नं. 108 उक्त विवादित आराजीयातसे लगी हुई तथा वादीगण के कब्जे की सिवायचक ख. नं. 108 रकबा 6.00 बीघा एवं खसरा नं. 76 की सिवायचक रकबा 3 बीघा को वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काश्त करते चले आ रहे है विवादित आराजीयात पारिवारिक बटवारे में वादीगण के हिस्से में आई है लेकिन खसरा नं. 108 एवं खसरा नं. 76 राजस्व नक्शे में कोई तरमीम नहीं हो रही है और अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा नहीं है। इसी का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात में अपनी

उपं खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

भूमि होना बताकर वादीगण के खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट कर वादीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है विवादित आराजीयात में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण को विवादित आराजीयात से वादीगण को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 20.06.2019 को प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर पंहुच कर कहने लगे कि इस जमीन को इस बार हम काश्त करेंगे वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने झूठी रिपोर्ट कर दी और एस.सी. एस.टी. की धारा 3 में फसाने की धमकी देने लगे प्रतिवादीगण वादीगण के खाते व हिस्से की आराजी से वादीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है।

3– यह कि प्रतिवादीगण वादीगण के खाते हिस्से की विवादित आराजी से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन सम्भव नहीं होगा इस कारण वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण को विवादित आराजीयात के किसी भाग से बेदखल न करे एवं वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करें न अन्यों से करावें। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो वह भी प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बाद तलबी अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही एक पक्षीय की गई। कार्यवाही एक पक्षीय होने से तनकी कायम नहीं की जा सकी। साक्ष्य में रामजीलाल पुत्र देवीलाल (PW-1) एवं शिवजी पुत्र देवीलाल के शपथ पत्र पेश कर बयान कराये गये। दस्तावेजों साक्ष्य में नकल जमाबन्दी (प्रदर्श–1) नक्शा ट्रेस (प्रदर्श–2) खसरा गिरदावरी (प्रदर्श–3) शिवजी के खाते को नकल (प्रदर्श–4) धारा 91 LR Act.का कार्यवाही के नोटिस क्रमशः प्रदर्श 5,6,7,8,9 कराये गये।

बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बेंटा नक्शा ट्रेस खसरा गिरदावरी से जाहिर कि प्रार्थी विवादित भूमि (सिवायचक भूमि को छोड़कर) के खातेदार काश्तकार है। खसरा नं. 76, एवं खसरा नं. 108 की वादीगण ने कोई जमाबन्दी पेश नहीं की है जिससे यह ज्ञात नही हो पा रहा है कि वादीगण को खातेदारी भूमि से प्रतिवादी की भूमि लगती हुई है। फिर भी वादीगण वाद ग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण के उनकी खाते की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत करने का कोई अधिकार नहीं है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण की जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण रामजीलाल, शिवजी एवं हरगोविंद एवं उसके परिवारजन के सहखाते में दर्ज भूमि ख. नं. 72 रकबा 5.09 खसरा नं. 72/366 रकबा 5.14 एवं खसरा नं.

उपं खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉं (राज०)

Scanned by CamScanner

/1 रकबा 4.00 बीघा भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करें न ही किसी न्य से करावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहबाद
शाहाबाद जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner